न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 11/2021
तारीख दायरा – 15.02.2021

प्रार्थीगण :–

1. जसोदा पत्नी अमृतलाल एवं जरिये कुदरती वलीया माता नाबालिग :–
2. निशा पुत्री अमृतलाल उम्र– 11 वर्ष
3. लव पुत्र अमृतलाल उम्र– 8 वर्ष
4. कुश पुत्र अमृतलाल उम्र–8 वर्ष
   जातिगण– कुम्हार, निवासीगण– कोटडी, तहसील–देसूरी
   जिला–पाली, राजस्थान।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. अमृतलाल पुत्र खीमाराम उम्र–40 वर्ष
2. कन्या पुत्री खीमाराम उम्र–50 वर्ष
3. राजाराम पुत्र खीमाराम उम्र– 45 वर्ष
   तमाम जातिगण–कुम्हार, निवासीगण–कोटडी, तहसील–देसूरी(पाली)
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीदार देसूरी एवं उपपंजीयक अधिकारी, देसूरी

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील छगनलाल गहलोत
2– अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से– वकील दिनेश कुमार [illegible]।
3–अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से – वकील दिव्य प्रकाश त्रिवेदी।

–: आदेश :– **दिनांक– 06.04.2022**

1. प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने के ठोस आसार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली में संयुक्त सामलाती की कृषि भूमि

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 कुल खसरे 17 कुल क्षैत्रफल 8.04 हेक्टर कुल लगान रूपये 234.13 रूपये की विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 संलग्न है।

2. प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नी है एवं प्रार्थीगण 2, 3, 4 का पिता अमृतलाल अप्रार्थी संख्या 01 है। तथा अप्रार्थी 2 व 3 प्रार्थीया की ननद व जेठ है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/8 वां हिस्सा खातेदारी का आता है।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 से 3 के पिता/दादा स्व. खीमा पुत्र उदा कुम्हार की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें खीमा पुत्र उदा 1/8 वां हिस्सा खातेदारी का आता है। खीमा पुत्र उदा की मृत्यु पश्चात् जरिये फौतेदगी नामान्तरण विरासत उत्तराधिकारी के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।
4. प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस व उत्तराधिकारी है एवं खीमा पुत्र उदा के पौत्र एवं पुत्रवधु है तथा खीमा मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से अर्थात सम्पूर्ण आराजी के 1/16 वें हिस्से पर काश्तकारी कर रहे है।
5. अप्रार्थी अमृतलाल आपराधिक प्रवृति एवं आवारा व शराबी होने से लोगों के सिखावे में आकर बिना किसी कानूनी अधिकार के केवल मात्र अपने नाम का दुरूपयोग करते हुए उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हिस्से को जोर जबरदस्ती से अज्ञात केता को विक्रय बेचान करने की ऐलानिया धमकियां दी तथा प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदलखल करने की धमकिया दी तथा अप्रार्थी संख्या 2 कन्या का कानूनी कोई अधिकार नहीं है तथा कन्या का मौके पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है।
6. उक्त आराजी में केवल खीमा की पुत्री होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया। जिसका दुरूपयोग कर बेचान करने को उतारू है जबकि उक्त आराजी को मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा किया हुआ नहीं है। बिना बंटवाडा के इन लोगों द्वारा बेचान करने से प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इन लोगों को उक्त आराजी में बंटवाडा कर अपना हिस्सा अलग करवाकर बेचान करने के लिए निवेदन किया तो ये लोग नहीं मान रहे है एवं प्रार्थीगण को [illegible] पुश्तैनी हिस्सा दिये बिना एवं पुश्तैनी हिस्सा अनुसार बंटवाडा किये बिना बेचान करने की [illegible] है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी कृषि भूमि का 4/80 [illegible] से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सर्वे नपाई के बंटवाडा एव राजस्व रेकर्ड में अलग से खाता खोलने के लिए उक्त वाद पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह कि वादग्रस्त आराजी में से प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त में बंटवाडा व घोषणा के बाद आई पुश्तैनी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण के द्वारा दखलन्दाजी रोक-टोक व अवरोध पैदा करने का अन्देशा होने से अप्रार्थीगण को ऐसा कृत्य भविष्य में करने से स्थाई रूप से रोकने के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया है।

8. यह कि मूल वाद के निर्णय में काफी समय लगेगा जिस दौराने अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थीगण के पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि अर्थात् वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द-बुद करने, अन्य व्यक्ति को बेचान, अन्तरण करने से एव कब्जे से बेदखल करने से एव मूल वाद के निर्णय तक मौके की भौतिक स्थिति को यशावत बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक व युक्तियुक्त एवं न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगणों के विधिक हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगणों को अकथनीय क्षति होगी जिका आंकलन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा एवं प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित रह जायेगे तथा उक्त वाद का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा अनावश्यक वाद विवाद बढेगा तथा मौके पर अशांति होगी एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगां उक्त वाद पत्र में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ऐसी हालात एवं मामले के तथ्यों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्याय संगत होगा तथा अप्रार्थी संख्या 4 को किसी प्रकार का दस्तोवज अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश करने पर पंजीबद्ध नहीं करने हेतु एवं नामान्तरण नहीं भरने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करना न्याय संगत है।

9. प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली में संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 कुल खसरे 17 कुल क्षैत्रफल 8.04 हेक्टर में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 4/80 वें हिस्से को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था को बेचान, अन्तरण नहीं करे तथा कब्जा हस्तान्तरित नहीं करें, मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखें एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी 4/80 वें हिस्से से बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बेचान पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 04 के समक्ष पेश करने पर पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 04 के समक्ष पेश करने पर पंजीयन नहीं करने हेतु एवं राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण नहीं करने हेतु रोका जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:39:02 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता दिनेश माथुर एवं अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता दिव्य प्रकाश त्रिवेदी ने वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली में सीधी बहस की गई।

11. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुना गयां अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कानूनी हक एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 4/80 वें हिस्से को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था को बेचान, अन्तरण नहीं करे तथा कब्जा हस्तान्तरित नहीं करें, मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखें एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी 4/80 वें हिस्से से बेदखल नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बेचान पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 04 के समक्ष पेश करने पर पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 04 के समक्ष पेश करने पर पंजीयन नहीं करने हेतु एवं राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

12. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस को सुना। पत्रावली एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को परददा/दादा उदा/खीमा की प्राप्त सम्पति में उसके हिस्से की भूमि का अधिकार है। अप्रार्थीगण को सम्पूर्ण भूमि हस्तान्तरण करने, बेचान, बक्शीश करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

13. अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति न्याय के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना जाहिर होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थीगण पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

—: निर्णय :—

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 अमृतलाल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली में संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 कुल खसरे 17 कुल क्षेत्रफल 8.04 हेक्टर भूमि

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

...से अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 4/80 वें हिस्से को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था को बेचान, अन्तरण नहीं करे तथा कब्जा हस्तान्तरित नहीं करें, मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखें।पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested